ISSN : 373-1200
अप्रैल 1915 से प्रकाशित हिन्दी की प्रथम विज्ञान पत्रिका
यू.जी.सी. द्वारा स्वीकृत पत्रिकाओं में सूचीबद्ध क्रम संख्या-47221

मूल्य : 20.00 रुपये

विज्ञान

वर्ष 108 अंक : 08 नवम्बर 2022

जैव विविधता संतुलन में उपयोगी मधुमक्खियां

जीवन रहस्य समझने की ओर

मौसम को काबू करने का प्रयास

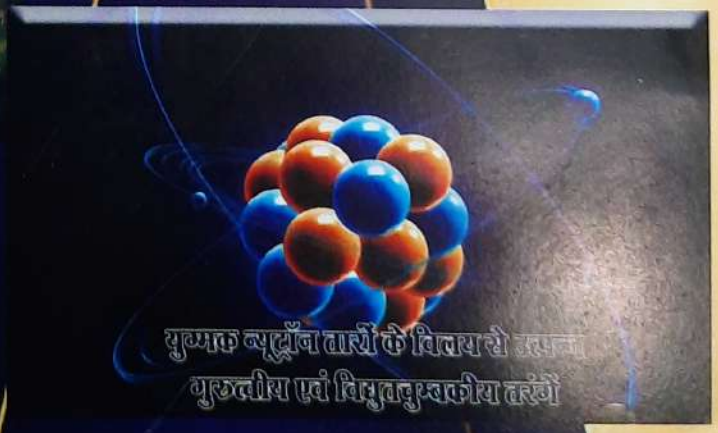

युग्मक न्यूट्रॉन तारों के विलय से उत्पन्न
गुरुत्वीय एवं विद्युतचुम्बकीय तरंगें

विज्ञान परिषद प्रयाग

भाषा और विज्ञान - एक शैक्षिक विमर्श

डॉ. कृष्ण कुमार मिश्र

भाषा शब्द की उत्पत्ति भाष् धातु से होती है। इसका अर्थ होता है बोलना। भाषा वह साधन है जिसके माध्यम से हम सोचते हैं, हम अपने विचारों को व्यक्त करते हैं। वह हमारे भावों और विचारों की वाहिनी है। भाषा अभिव्यक्ति के तीन साधनों में से एक है। अन्य दो हैं, मौनचिंतन तथा सांकेतिक अभिव्यक्ति। भाषा मुख से उच्चारित होने वाले शब्दों और वाक्यों का वह समूह है जिनके द्वारा मन की बात संप्रेषित की जाती है। मौखिक भाषा, ध्वनियों का समुच्चय है जिसके जरिये किसी समाज या राष्ट्र के लोग अपने मनोगत भावों तथा विचारों का परस्पर आदान–प्रदान करते हैं। ध्वनि प्राकृतिक व्यवस्था है जब कि लिपि मानवकृत है।

वाक् शक्ति या वाणी समस्त विश्व व्यवहार का मूल है। शास्त्रों में वाणी के चार पद बताये गये हैं– परा, पश्यन्ती, मध्यमा, तथा वैखरी। इनमें प्रथम तीन अव्यक्त हैं, तथा हमारे अंतःकरण में होते हैं। परा, प्राणवायु से उत्प्रेरण है, पश्यन्ती– बुद्धि के संयोग से मनःपटल पर चित्रण है, मध्यमा– शारीरिक ऊर्जा से कंठ तक प्रेरण की प्रक्रिया होती है तथा वैखरी, व्यक्त वाणी है। हमारे सभी ग्रन्थों और शास्त्रों से मिलने वाला ज्ञान भाषा पर ही निर्भर है। महाकवि दण्डी ने अपने महान ग्रन्थ 'काव्यादर्श' में भाषा की महत्ता को रेखांकित करते हुए लिखा है:–

इदधतमः कृत्स्नं जायेत भुवनत्रयम्।
यदि शब्दाह्वयं ज्योतिरासंसारं न दीप्यते।।

भावार्थ यह कि यह सम्पूर्ण भुवन अन्धकारपूर्ण हो जाता, यदि इस संसार में शब्द–स्वरूप ज्योति न होती, अर्थात यदि भाषारूपी प्रकाश न होता।

भाषा क्या है?

भाषा हमारे उच्चारण अवयवों से उत्पन्न यादृच्छिक ध्वनि प्रतीकों की वह व्यवस्था है जिसके द्वारा किसी भाषा समाज के लोग आपस में विचारों का आदान–प्रदान करते हैं। यह ध्वनि मूलक होती है। ये ध्वनियां हमारे मुख तथा कंठ में मौजूद उच्चारण अवयवों से पैदा होती हैं। वास्तव में मौखिक भाषा ध्वनियों की एक व्यवस्था है। भाषा प्रतीकात्मक होती है तथा ये प्रतीक यादृच्छिक होते हैं। भाषा किसी विशेष या सीमित भाषिक समाज की होती है। यह सामाजिक वस्तु है। यह पैतृक सम्पत्ति नहीं है जो कि माता–पिता से डीएनए के जरिये संतानों को आनुवंशिक रूप से प्राप्त हो जाए। इसे प्राप्त करने के लिए यत्न करना पड़ता है। यह अर्जित संपत्ति है। इसके लिए अनुकरण करना पड़ता है। भाषा प्रवाहशील होती है। इसीलिए कहते हैं– भाषा बहता नीर । अतः यह परिवर्तनीय है। भाषा का कोई अंतिम स्वरूप नहीं होता। स्वाभाविक रूप से भाषा कठिनता से सरलता की ओर अग्रसर होती है।

हर भाषा का एक मानक स्वरूप होता है। उसी आदर्श के कारण वक्ता की बात को लाखों–करोड़ों श्रोता उसी रूप में सुनते तथा ग्रहण करते हैं। कोई भाषा कब बनी, कैसे बनी? इसका प्रारम्भिक एवं प्राचीन स्वरूप क्या था? इसमें कब–कब, क्या–क्या परिवर्तन हुए, और उन परिवर्तनों के क्या कारण रहे? अथवा कुल मिलाकर भाषा कैसे विकसित हुई? उस विकास के क्या कारण हैं? कौन–सी भाषा किस दूसरी भाषा से कितनी समानता या असमानता रखती है? इन सबका अध्ययन 'भाषा–विज्ञान' कहा जाता है।

भाषा–विज्ञान आज अध्ययन का एक महत्त्वपूर्ण क्षेत्र है।

इतिहास के आधार पर भाषा के विविध रूप हैं। उदाहरण के लिए, मूल भाषा, निःसृत भाषा, प्राचीन भाषा, मध्ययुगीन भाषा, अर्वाचीन भाषा तथा भावी भाषा। भूगोल के आधार पर ब्रज, अवधी, भोजपुरी, मैथिली, मालवी, छत्तीसगढ़ी, बुंदेलखंडी, रुहेलखंडी, बघेली, वगैरह में विभाजन किया जा सकता है। वही प्रयोक्ता के आधार पर राष्ट्रभाषा, राजभाषा, संपर्क भाषा, जनभाषा, व्यावसायिक भाषा, साहित्यिक भाषा, बोलचाल की भाषा, अदालती भाषा, इत्यादि में श्रेणीबद्ध किया जा सकता है। देश काल में प्रचलन के आधार पर हम भाषा को प्रचलित भाषा, जीवित भाषा, अल्पप्रचलित भाषा, अप्रचलित भाषा, मृत भाषा में विभक्त कर सकते हैं। बोधगम्तया के आधार पर इसे सरल भाषा, क्लिष्ट भाषा, कूट भाषा, गुप्त भाषा के तौर पर बांट सकते हैं।

भाषा और बोली

भाषा तथा बोली में बहुत फर्क है। भाषा बहुत बड़े भौगोलिक क्षेत्र में व्यवहृत होती है, जब कि बोली का दायरा कम होता है। किसी भाषा के दायरे में अनेक बोलियां होती हैं जबकि किसी बोली का क्षेत्र एक ही भाषा से जुड़ा होता है। किसी भाषा की बोलियों को बोलने वाले उसी भाषा की अन्य बोलियों को समझ लेते हैं। मोटे तौर पर कही गयी बात का अर्थ लगा लेते हैं। जब कि एक भाषा को बोलने वाला दूसरी भाषा को नहीं समझ पाता। भाषा किसी समाज में शिक्षा, शासन, प्रशासन के काम आती है, जब कि बोली काम नहीं आती। भाषा का मानक स्वरूप होता है जब कि बोली का मानक स्वरूप नहीं होता। भाषा स्वायत्त होती है किंतु बोली नहीं। भाषा का परिचय स्वतंत्र रूप से दिया जाता है जब कि बोली के लिए बताना पड़ता है कि यह किस भाषा की बोली है। वैसे बोली भी कभी–कभी भाषा बन जाती है। मध्यकाल में ब्रज ने भाषा का पद प्राप्त कर लिया था। उसी तरह अवधी ने भक्तिकाल में भाषा का दर्जा हासिल कर लिया था।

भाषा विकास

जैसा कि हम जानते हैं, संस्कृत समस्त भारतीय भाषाओं की जननी है। विकास के लम्बे दौर में चलकर हिन्दी भाषा अब से करीब 1000 साल पहले अपना स्वरूप लेने लगी थी। ईसा पूर्व 1500 से 500 के काल को प्राचीन आर्यभाषा काल के रूप में जाना जाता है। यह कुल 1000 वर्ष का कालखंड है। इसमें दो भाषाएँ आती हैं, वैदिक संस्कृत तथा लौकिक संस्कृत। इसमें 1500 ई.पू. से लेकर 800 ई.पू. को वैदिक संस्कृत काल कहते हैं जब हमारे वेदों की रचना हुई। उसके बाद लौकिक संस्कृत का काल आता है जो 800 ई.पू. से लेकर 500 ई.पू. तक निश्चित किया जाता है। लौकिक संस्कृत में रामायण, महाभारत, पंचतंत्र रचे गये। तदोपरान्त मध्यकालीन भारतीय आर्यभाषा काल आता है जो कि 500 ई.पू. से लेकर 1000 ईसवी तक निर्धारित है। इस काल को प्राकृत काल कहते हैं। इस अवधि को तीन भागों में विभक्त करते हैं। क) पालि– यह 500 ई.पू. से लेकर 1 ई. तक है जिसमें सम्राट अशोक के शिलालेख/प्रशस्तियां लिखी गयीं। बौद्ध धर्म के धम्मपद इसी काल में लिखे गये। ख) प्राकृत– 1 ई. से 500 ई. तक के कालखंड की भाषा है जो समूचे उत्तर भारत में बोली जाती थी। उस समय मागधी, अर्धमागधी, शौरसेनी, महाराष्ट्री, पैशाची, आदि बोलियां प्रचलित थीं। सन 500 से 1000 ईसवी तक के समय को अपभ्रंश काल कहते हैं। इस दौरान बोलियों में परस्पर फर्क बढ़ता गया जिससे कालान्तर में कई भाषाओं का विकास हुआ।

प्रख्यात भाषाविद् जार्ज ग्रियर्सन ने भारतीय भाषाओं को छह समुदायों में विभाजित किया है। ये हैं, शौरसेनी, पैशाची, ब्राचड़, महाराष्ट्री, मागधी तथा अर्धमागधी। इन्हीं से अपभ्रंश काल में समस्त उत्तर, मध्य तथा पूर्वी भारत की भाषाओं का प्रादुर्भाव हुआ। कालान्तर में अपभ्रंश का प्रभाव मिट गया, तथा उपभाषाएँ जैसे खड़ी बोली, ब्रज, अवधी अपने पैरों पर खड़ी हो गयीं। कइयों ने भाषा का स्वरूप ले लिया। सन 1800 ई. के बाद खड़ी बोली या रेख्ता ने विस्तार कर लिया

तथा प्रमुखता से स्थापित हो गयी।

भाषायी–चिंतन

आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है कि भाषा ही किसी जाति की सभ्यता को सबसे अलग झलकाती है, यही उसके हृदय के भीतरी पुर्जों का पता देती है। भाषा मानव समाज की अद्भुत विरासत है। इसे सँजोकर रखने की जरूरत है। हमारा देश भाषायी रूप से बहुत समृद्ध है। यहां करीब 1500 भाषाएँ हैं। अधिकांश भारतीय भाषाएँ जनजातीय क्षेत्रों में हैं। उनके बोलने वालों की संख्या कम है जो दिनोंदिन सीमित होती जा रही है। इससे कई भाषायें लुप्त हो गयी हैं। यूनेस्को की रिपोर्ट के अनुसार प्रचलन से बाहर हो जाने के कारण असम राज्य की देवरी, पिसिंग, बेइटे, तथा तिवा भाषाएँ संकटग्रस्त हैं। उसी तरह बोडो, कार्बी, डिमासा, विष्णुप्रिया, मणिपुरी तथा कोकबोरोक के जानकारों की संख्या तेजी से घट रही है। ध्यान देने की बात है कि प्रचलन से बाहर हो जाने के कारण ही पालि, प्राकृत तथा अपभ्रंश विलुप्त हो गयीं। इसलिए भाषाओं के वजूद के लिए लोकव्यवहार में उनका रहना आवश्यक है। अंडमान–निकोबार में 2009 में कोरा, तथा 2011 में बो भाषा समाप्त हो गयी। संयुक्त राष्ट्र संघ के अनुसार भारत में 196 भाषाएँ विलुप्त होने के कगार पर हैं। यह हम सभी के लिए गहन चिंता एवं चिंतन का विषय होना चाहिए।

भाषाविज्ञानियों का कहना है कि जिस भाषा का प्रयोग हम मातृभाषा के तौर पर करना बन्द कर देते हैं वह धीरे–धीरे क्षीण हो जाती है तथा लुप्त होने के कगार पर पहुंच जाती है। विस्थापन के साथ भी भाषा प्रभावित होती है। जलवायु परिवर्तन, सामाजिक, आर्थिक तथा राजनीतिक कारणों के चलते दुनिया भर में विस्थापन एक आम बात हो गयी है। इससे भाषायी समृद्धि प्रभावित हो रही है। भारत के विभाजन काल में कई भाषाओं पर इसका प्रभाव पड़ा है। छोटे समूहों में विस्थापन से भाषा पर ज्यादा खतरा देखा गया है। डेविड क्रिस्टल का कहना है कि "एक शब्द की मृत्यु एक व्यक्ति की मृत्यु के बराबर है"। फिर किसी भाषा के अवसान को हम क्या कहें। वह बहुत बड़ी क्षति है। भाषा का विलोपन वास्तव में किसी समाज के अनुभव तथा चिंतन–संसार का हमेशा के लिए विलुप्त हो जाना है। यह एक अपूरणीय क्षति है। वास्तव में दुनिया की समस्त भाषाएँ मानव समाज की अनमोल विरासत हैं। उन सभी को सहेजने, तथा सँजोने की आवश्यकता है।

उपसंहार

हिन्दी का संसार बहुत बड़ा तथा व्यापक है। वह भारतीय उपमहाद्वीप से लेकर मध्यएशिया, यूरोप, अफ्रीका, तथा उत्तरी अमेरिका तक व्यापक तौर पर फैला हुआ है। देश–विदेश में हिन्दी जानने, समझने तथा बोलने वालों की विशाल आबादी है। भारत से बाहर मॉरीशस, सुरीनाम, ट्रिनिडाड, टोबैगो, फीजी तथा यूरोप के तमाम देशों हिन्दी के प्रति संकल्पित लाखों–लाख भारतीय हैं। अप्रवासी भारतीय आज हिन्दी के संवर्धन में अमूल्य योगदान दे रहे हैं। अप्रवासी हिन्दी साहित्य आज बहुत समृद्ध है, तथा हिन्दी को वैश्विक बनाने में अभूतपूर्व भूमिका निभा रहा है। हमें प्रयास करना होगा कि वर्ष 2047 में, जब भारत अपनी आजादी का शताब्दी वर्ष मनाएगा, तब तक हिन्दी उच्च–शिक्षा, अनुसंधान, तकनीकी, विधि, चिकित्सा, सहित सभी विधाओं में स्थापित हो जाए। देश के दफ्तरों तथा अदालतों में लोगों को अपनी भाषा में बात कहने तथा जवाब पाने का अधिकार मिल जाए, ऐसी कोशिश होनी चाहिए। यह सही मायने में देश के लिए कोटि–कोटि जनों के लिए भाषायी स्वराज होगा। इसलिए समस्त हिन्दीसेवी संस्थाओं, संगठनों एवं व्यक्तियों को प्राणपण से इस कार्य में अभी से जुट जाना होगा।

नोट– प्रस्तुत लेख, लेखक द्वारा गत 21 सितंबर 2020 को विज्ञान परिषद् प्रयाग में दिये गये 'डॉ. गोरख प्रसाद स्मृति व्याख्यान' पर आधारित है।

एसोसिएट प्रोफेसर
होमी भाभा विज्ञान शिक्षा केन्द्र, टाटा मूलभूत अनुसंधान संस्थान, (डीम्ड यूनिवर्सिटी)